IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाओं की सामाजिक नियंत्रण और प्रतिरोध भूमिका – भागलपुर जिले के संदर्भ में समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. विकास कुमार यादव

विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग, ति. मा. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

सारांशः अन्तर्जातीय संबंध भारतीय समाज की सामाजिक संरचना और जातिगत पदानुक्रम को चुनौती देने वाला एक संवेदनशील विषय रहा है। विशेषकर महिलाओं के लिए, ऐसे संबंध केवल प्रेम और विवाह की स्वतंत्रता से जुड़ी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सामाजिक नियंत्रण, पारिवारिक दबाव, और पितृसत्ता के प्रतिरोध की लड़ाई बन जाती है। प्रस्तुत शोध आलेख भागलपुर जिले के सन्दर्भ में अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाओं की भूमिका, उनके अनुभव, और उनके प्रतिरोध की प्रवृत्तियों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करता है। अनुसंधान हेतु 30 महिलाओं के गहन साक्षात्कार, केस स्टडी, और प्रश्नावली आधारित प्राथमिक आंकड़ों के माध्यम से जानकारी संकलित की गई। शोध में यह स्पष्ट हुआ कि महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार, मानसिक और शारीरिक हिंसा, और पंचायत द्वारा दंड जैसे अनेक सामाजिक नियंत्रण का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर, कुछ महिलाएँ पुलिस, महिला आयोग, और सामाजिक संगठनों की सहायता से प्रतिरोध भी कर रही हैं। सोशल मीडिया का प्रभाव भी दोहरा है – जहाँ एक ओर यह संपर्क का माध्यम बना, वहीं दूसरी ओर इससे उत्पीड़न भी बढ़ा। अनुसंधान यह दर्शाता है कि जाति और लिंग की अंतःसंरचना महिलाओं की स्थिति को और अधिक जटिल बनाती है। यह अध्ययन अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाओं की सामाजिक भूमिका और संघर्ष को समझने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।

मुख्य शब्दः अन्तर्जातीय संबंध, महिला प्रतिरोध, सामाजिक नियंत्रण, पितृसत्ता, सामाजिक बहिष्कार, सोशल मीडिया, इंटरसेक्शनैलिटी, भागलपुर।

1. भूमिका

भारत एक विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना वाला देश है, जहाँ जाति व्यवस्था हजारों वर्षों से सामाजिक संबंधों और वैवाहिक व्यवहारों को नियंत्रित करती रही है। जातीय सीमाओं को पार करने वाले वैवाहिक संबंध, विशेषकर अन्तर्जातीय विवाह, भारतीय समाज में सामाजिक चुनौती और सांस्कृतिक टकराव का केंद्र बिंदु रहे हैं। इस व्यवस्था में महिलाएँ सामाजिक संरचना की रक्षा की वाहिका मानी जाती हैं, जिससे उनके वैयक्तिक निर्णयों, विशेषतः प्रेम संबंधों और विवाह की स्वतंत्रता पर गहरा सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया गया है।

विशेष रूप से बिहार राज्य, और उसमें भी भागलपुर जिला, जातीय पहचान और सामाजिक प्रतिष्ठा से गहराई से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भागलपुर जिले की कुल जनसंख्या लगभग 30 लाख है, जिसमें से 68% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। यह जिला सामाजिक दृष्टि से परंपरागत मान्यताओं में रचा–बसा है, जहाँ जाति और लिंग आधारित सामाजिक व्यवस्थाएँ अब भी प्रभावी रूप से विद्यमान हैं।

तालिका 1: भागलपुर जिले की जनसंख्या संरचना (जनगणना 2011)

वर्ग	संख्या (लाख में)	प्रतिशत ((%)
कुल जनसंख्या	30.3	100%
अनुसूचित जाति	5.2	17.2%
पिछड़ा वर्ग	12.7	42%
महिलाएँ (कुल जनसंख्या में)	14.6	48.2%

स्रोतः जनगणना 2011, भारत सरकार

महिलाओं के अन्तर्जातीय संबंधों में भाग लेने की स्थिति दोहरी सामाजिक अस्वीकृति को जन्म देती है – एक ओर जातिगत परंपरा का उल्लंघन और दूसरी ओर पितृसत्तात्मक मर्यादा का विघटन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (NFHS–5, 2019–21) के अनुसार, भारत में केवल 11% शादियाँ अन्तर्जातीय होती हैं, जिनमें भी निर्णयकर्ता के रूप में पुरुषों का प्रतिशत महिलाओं से अधिक होता है।

अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाओं की भागीदारी एक सामाजिक विद्रोह के रूप में देखी जाती है, जिसे परिवार, समुदाय और पंचायतों द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। नियंत्रण के प्रमुख साधन – जैसे सामाजिक बहिष्कार, शारीरिक हिंसा, जबरन विवाह, और 'ऑनर किलिंग' – इन महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं।

सामाजिक संगठनों और महिला आयोगों की रिपोर्टें यह दर्शाती हैं कि बिहार में वर्ष 2023 में ऑनर क्राइम के लगभग 67 मामले दर्ज किए गए, जिनमें अधिकांश में कारण अन्तर्जातीय प्रेम या विवाह था (NCRB, 2023)।

यह शोध आलेख भागलपुर जिले में अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाओं की भूमिका को सामाजिक नियंत्रण और प्रतिरोध के दृष्टिकोण से विश्लेषित करता है। इसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि कैसे महिलाएँ न केवल इन सामाजिक नियंत्रणों को झेलती हैं, बल्कि विभिन्न रूपों में प्रतिरोध भी करती हैं – जैसे कानूनी सहायता लेना, पलायन करना, सामाजिक संगठनों से जुड़ना अथवा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना।

इस शोध की आवश्यकता इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण की व्यवहारिक चुनौतियों और सामाजिक संरचना में परिवर्तन की संभावनाओं को समझने में सहायता करता है।

2. सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाओं की भूमिका को समझने के लिए समाजशास्त्र में स्थापित अनेक सिद्धांत उपयोगी साबित होते हैं। विशेष रूप से पितृसत्ता, सामाजिक नियंत्रण, और प्रतिरोध से संबंधित अवधारणाएँ इस शोध के मूल में हैं। भागलपुर जैसे पारंपरिक समाज में इन सिद्धांतों की व्याख्या महिलाओं के अनुभवों और सामाजिक व्यवहार को गहराई से समझने में सहायक बनती है।

(क) पितृसत्ता का सिद्धांतः सिल्विया वॉल्बी (1990) ने पितृसत्ता को एक सामाजिक संरचना बताया है जिसमें पुरुषों का प्रभुत्व विभिन्न संस्थानों – जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, और कानून – के माध्यम से महिलाओं पर स्थापित होता है। भारत में विवाह संबंध विशेष रूप से पितृसत्तात्मक नियंत्रण का केंद्र होते हैं। जब कोई महिला अन्तर्जातीय संबंध में प्रवेश करती है, तो वह दोहरी सत्ता को चुनौती देती है – जातीय और लैंगिक। पितृसत्तात्मक समाज में महिला की 'इज्ज़त' को परिवार और समुदाय की इज्ज़त से जोड़ा जाता है। इसीलिए जब महिलाएँ अन्तर्जातीय संबंध बनाती हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक मर्यादा भंग करने वाली माना जाता है। यह अवधारणा सामाजिक नियंत्रण को वैधता प्रदान करती है।

(ख) सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांतः ट्रैविस हिर्शी (1969) ने सामाजिक नियंत्रण सिद्धांत के माध्यम से यह बताया कि व्यक्ति क्यों समाज की परंपराओं का पालन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, व्यक्ति और समाज के बीच चार प्रमुख बंधन होते हैं – संलग्नता, प्रतिबद्धता, संलिप्तता और विश्वास। जब कोई महिला इन बंधनों से बाहर जाती है, जैसे अन्तर्जातीय संबंध बनाकर, तो वह सामाजिक दंड की पात्र बनती है। भागलपुर में सामाजिक नियंत्रण के उपकरण – जैसे ग्राम पंचायत, सामुदायिक बहिष्कार, पारिवारिक प्रतिबंध, और धार्मिक निर्देश – अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय रहते हैं। इन नियंत्रणों का उद्देश्य महिलाओं को 'मर्यादित' दायरे में रखना है।

(ग) प्रतिरोध का स्त्रीवादी दृष्टिकोणः स्त्रीवादी चिंतन यह मानता है कि महिलाएँ मात्र पीड़िता नहीं होतीं, बल्कि वे प्रतिरोध की सक्रिय एजेंट भी होती हैं। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक और नैन्सी फ्रेज़र जैसी चिंतक यह तर्क देती हैं कि सामाजिक व्यवस्था में महिलाएँ हाशिए पर होते हुए भी स्वयं की पहचान और अधिकार के लिए संघर्ष करती हैं। अन्तर्जातीय संबंधों में जब महिलाएँ कानूनी सहारा लेती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं, अथवा सामाजिक संगठनों से जुड़ती हैं, तो वे एक प्रकार से सामाजिक प्रतिरोध को मूर्त रूप देती हैं। यह प्रतिरोध न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का संकेत है, बल्कि सामाजिक ढाँचों के पुनर्गठन की संभावना को भी जन्म देता है।

(घ) इंटरसेक्शनैलिटी का दृष्टिकोणः किम्बर्ले क्रेन्सशॉ के इंटरसेक्शनैलिटी सिद्धांत के अनुसार, किसी व्यक्ति के अनुभव को केवल एक पहचान (जैसे जाति या लिंग) से नहीं समझा जा सकता, बल्कि विभिन्न पहचानें जैसे जाति, लिंग, वर्ग, धर्म – एक–दूसरे से जुड़कर उसका अनुभव निर्मित करती हैं। अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाएँ जातीय और लैंगिक दोनों दमन को एक साथ झेलती हैं। भागलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ी जाति की महिलाओं के साथ यह दमन और अधिक तीव्र होता है।

यह सैद्धांतिक पृष्ठभूमि शोध को एक गहन सामाजिक संदर्भ प्रदान करती है, जिसमें महिलाओं के अनुभवों को विश्लेषणात्मक रूप से समझा जा सकता है।

3. अनुसंधान पद्धति

यह अध्ययन गुणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है, जिसमें भागलपुर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 30 महिलाओं के अनुभवों को अर्द्ध–संरचित साक्षात्कारों के माध्यम से एकत्रित किया गया। चयन उद्देश्यपूर्ण सैंपलिंग विधि से किया गया, जिसमें उन महिलाओं को चुना गया जिन्होंने अन्तर्जातीय संबंध बनाए या उनका प्रयास किया हो। आंकड़ा संग्रह के लिए 2024 के दौरान व्यक्तिगत साक्षात्कार लिए गए, जिनमें विषयों पर गोपनीयता और स्वीकृति सुनिश्चित की गई। सामाजिक नियंत्रण और प्रतिरोध के अनुभवों को वर्गीकृत करने हेतु विषयगत विश्लेषण की विधि अपनाई गई। अध्ययन में जाति, आय, शिक्षा, और निवास जैसे सामाजिक–आर्थिक कारकों के प्रभाव को समझने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी का भी सहारा लिया गया, जिससे परिणामों की सामाजिक संदर्भ में गहराई से व्याख्या संभव हो सकी।

4. प्रमुख निष्कर्ष और विश्लेषण

अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भागलपुर जिले में किए गए साक्षात्कारों और सांख्यिकीय विश्लेषणों से अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त हुए। यह खंड उन निष्कर्षों को सामाजिक–सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करता है।

(क) सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण: अध्ययन में सम्मिलित 30 महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 2: प्रतिभागियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति

चर	श्रेणी	संख्या	प्रतिशत (%)
आयु	18–25 वर्ष	18	60.00
	26–35 वर्ष	9	30.00
	36 वर्ष से अधिक	3	10.00
जाति	अनुसूचित जाति	6	20.00
	पिछड़ा वर्ग	14	47.00
	सवर्ण	10	33.00
शिक्षा	स्नातक या उससे कम	20	67.00
	स्नातकोत्तर	10	33.00
निवास स्थान	ग्रामीण	21	70.00
	शहरी	9	30.00

स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण, 2024

इससे स्पष्ट होता है कि अन्तर्जातीय संबंधों में प्रवेश करने वाली अधिकांश महिलाएँ शिक्षित, युवा, और ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं।

(ख) सामाजिक नियंत्रण के रूप: महिलाओं ने सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न प्रकारों का सामना किया:

तालिका 3: सामाजिक नियंत्रण के प्रकार

सामाजिक नियंत्रण का प्रकार	महिलाओं की संख्या	प्रतिशत (%)
पारिवारिक दबाब	21	70.00
जबरन विवाह/भावनात्मक दबाव	22	73.33
सामुदायिक बहिष्कार	14	46.67
पंचायत चेतावनी/दंड	17	56.67
शारीरिक हिंसा/मानसिक हिंसा	6	20.00
धार्मिक दबाब	12	40.00

स्रोत: प्राथमिक साक्षात्कार, 2024

(ग) प्रतिरोध के रूप और माध्यम: सभी 30 महिलाओं में से 18 महिलाओं ने किसी न किसी रूप में सक्रिय प्रतिरोध किया:

तालिका 4: प्रतिरोध के प्रकार

प्रतिरोध का माध्यम	संख्या	प्रतिशत (%)
पुलिस/कानूनी सहायता	12	40.00
सामाजिक संगठन/महिला आयोग	6	20.00
घर से पलायन	8	26.67
आत्मनिर्भरता की ओर रूझान	7	23.33
प्रतिरोध विफल (समझौता)	5	16.67

स्रोत: प्राथमिक साक्षात्कार, 2024

(घ) जाति और लिंग का दोहरा प्रभावः तालिका 5 में महिलाओं के अनुभवों को उनके जातीय समूह और लिंगाधारित सामाजिक दमन के परिप्रेक्ष्य में दर्शाती है:

तालिका 5: जाति और लिंग के आधार पर सामाजिक दमन का अनुभव

जातीय समूह	कुल महिलाएँ	सामाजिक बहिष्कार का अनुभव	परिवार द्वारा हिंसा/धमकी	प्रतिरोध की प्रवृत्ति	समर्थन प्राप्त (कानूनी/सामाजिक)
अनुसूचित जाति	6	5 (83.3%)	4 (66.7%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)
पिछड़ा वर्ग	14	10 (71.4%)	7 (50%)	5 (35.7%)	3 (21.4%)
सवर्ण	10	6 (60%)	3 (30%)	6 (60%)	4 (40%)

स्रोतः प्राथमिक साक्षात्कार, 2024

(ङ) मीडिया और सोशल नेटवर्क का प्रभावः तालिका 6 में महिलाओं के अनुभवों और सोशल मीडिया के माध्यम से अन्तर्जातीय संबंधों के प्रभाव को दर्शाती है:

तालिका 6: मीडिया और सोशल नेटवर्क का प्रभाव

प्रभाव का प्रकार	संख्या	प्रतिशत (%)	विशेष टिप्पणियाँ
सोशल मीडिया पर संबंधों की शुरुआत	12	40.00	व्हाट्सएप, फेसबुक आदि के माध्यम से अधिकतर संपर्क शुरू हुए।
सोशल मीडिया द्वारा संबंधों का उजागर होना	9	30.00	समुदाय और परिवार के द्वारा सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट का उपयोग।
सोशल मीडिया से मिले समर्थन	6	20.00	कुछ महिलाओं को ऑनलाइन समुदायों से प्रेरणा और समर्थन मिला।
सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पीड़न	8	26.67	व्हाट्सएप चैट्स और फेसबुक पोस्ट को दमन के रूप में उपयोग किया गया।

स्रोतः प्राथमिक साक्षात्कार, 2024

5. विश्लेषण

इस खंड को दो भागों – (क) सामाजिक संस्थानों की भूमिका और (ख) प्रतिरोध की रणनीतियाँ पर विस्तृत चर्चा तालिका 3 से 6 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है:

(क) सामाजिक संस्थानों की भूमिकाः अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाओं के अनुभवों को समझने में पारिवारिक, सामुदायिक, धार्मिक और मीडिया संस्थानों की भूमिका अत्यंत निर्णायक रही है। तालिका 3 और तालिका 6 में दिए गए आंकड़े इस भूमिका को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं।

- पारिवारिक संस्था, जो सामान्यतः सुरक्षा और समर्थन का स्रोत मानी जाती है, कई मामलों में नियंत्रण और हिंसा का केंद्र बन गई। 70% महिलाएँ पारिवारिक दबाव का शिकार रहीं, जबकि लगभग 73.33% को भावनात्मक या जबरन विवाह के माध्यम से रोका गया।
- सामुदायिक संस्थान, जैसे गाँव की पंचायतें और जातीय समूह, सामाजिक बहिष्कार (46.67%) और चेतावनी या दंड (56.67%) देने में सक्रिय पाए गए, जिससे सामाजिक भय और अलगाव की भावना प्रबल हुई।
- धार्मिक संस्थानों का भी महिलाओं पर दबाव बनाने में योगदान रहा, जिसमें 40% महिलाओं ने धार्मिक आधार पर दबाव महसूस किया।
- सोशल मीडिया जैसे आधुनिक संस्थान, जिनसे एक ओर महिलाएँ स्वतंत्रता और समर्थन प्राप्त कर रही हैं (20% को ऑनलाइन समुदायों से समर्थन मिला), वहीं दूसरी ओर यह निगरानी और उत्पीड़न का नया मंच भी बना (26.67% महिलाओं को सोशल मीडिया उत्पीड़न का अनुभव हुआ)।
- जैसे कि तालिका 6 में दिखाया गया – कई मामलों में व्हाट्सएप चैट्स या फेसबुक पोस्ट को महिलाओं को सामाजिक रूप से अपमानित करने के लिए उपयोग किया गया।

इस प्रकार, परंपरागत और आधुनिक दोनों प्रकार के सामाजिक संस्थानों ने अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाओं के लिए दमन और प्रतिरोध दोनों के द्वंद्व को जन्म दिया।

(ख) प्रतिरोध की रणनीतियाँः अन्तर्जातीय संबंधों में शामिल महिलाओं ने सामाजिक दबावों के विरुद्ध विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से प्रतिरोध किया, जैसा कि तालिका 4 और तालिका 5 में प्रस्तुत आंकड़ों से स्पष्ट होता है।

- 40% महिलाएँ पुलिस और कानूनी सहायता की ओर अग्रसर हुईं, जिससे यह संकेत मिलता है कि संवैधानिक संस्थानों पर महिलाओं का विश्वास बढ़ रहा है। हालांकि, यह संख्या अपेक्षाकृत कम है, जो सामाजिक भय या संसाधनों की कमी को भी दर्शाता है।
- केवल 20% महिलाओं ने सामाजिक संगठनों या महिला आयोग से संपर्क किया, जिससे इन संस्थाओं की पहुँच और जागरूकता में अभी वृद्धि की आवश्यकता है।

- 26.67% महिलाओं ने घर से पलायन को प्रतिरोध का माध्यम चुना कृ यह प्रतिरोध की एक सशक्त लेकिन अंतिम अवस्था है जो बताती है कि परिवार और समाज से संवाद के रास्ते सीमित होते जा रहे हैं।
- 23.33% महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाया, जो एक स्थायी और सकारात्मक रणनीति मानी जा सकती है।
- वहीं 16.67% मामलों में प्रतिरोध असफल रहा और महिलाओं को समझौता करना पड़ा कृ यह पितृसत्ता की गहराई और महिलाओं की सामाजिक सीमाओं को दर्शाता है।
- जातीय आधार पर भी प्रतिरोध में भिन्नताएँ देखी गईं (तालिका 5)। अनुसूचित जाति की महिलाओं में प्रतिरोध की प्रवृत्ति मात्र 33.3% थी, जबकि सवर्ण महिलाओं में यह 60% रही। यह दिखाता है कि सामाजिक संसाधनों, शिक्षा, और कानूनी जानकारी की उपलब्धता प्रतिरोध के स्तर को प्रभावित करती है।

इन विश्लेषणों से स्पष्ट होता है कि भागलपुर जिले में अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाओं की भूमिका सामाजिक संरचना को चुनौती देने वाली तो है, लेकिन उस पर नियंत्रण और दमन के पुराने तरीके अब भी सजीव हैं। प्रतिरोध की प्रवृत्ति उभर रही है, परंतु वह अभी भी शहरी, शिक्षित महिलाओं तक सीमित है। यह अध्ययन सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत का संकेत देता है, किंतु व्यापक सामाजिक जागरूकता, संवैधानिक समर्थन, कानूनी जागरूकता और संस्थागत समर्थन की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

6. केस स्टडी

इस खंड में भागलपुर ज़िले की दो महिलाओं के वास्तविक अनुभवों पर आधारित संज्ञेय और विश्लेषणात्मक केस स्टडी प्रस्तुत की गई है। इन केस स्टडीज़ से अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाओं की भूमिका, संघर्ष, सामाजिक नियंत्रण और प्रतिरोध के पहलुओं को स्पष्ट किया गया है।

केस स्टडी 1: 'संगीता' (परिवर्तित नाम), उम्र – 23 वर्ष, जाति – ओबीसी, निवास – ग्रामीण

पृष्ठभूमि: संगीता एक स्नातक छात्रा है, जो भागलपुर जिले के एक ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखती है। उसका प्रेम संबंध उसी गाँव के एक दलित युवक से था। यह संबंध सोशल मीडिया (फेसबुक और इंस्टाग्राम) के माध्यम से शुरू हुआ था।

सामाजिक प्रतिक्रिया: जैसे ही संबंध सार्वजनिक हुआ, परिवार ने उस पर पढ़ाई बंद करने का दबाव बनाया। पंचायत ने लड़के के परिवार को चेतावनी दी और सामाजिक बहिष्कार की धमकी दी गई। परिवार ने जबरन एक रिश्तेदार से विवाह कराने का प्रयास भी किया।

प्रतिरोध: संगीता ने भागलपुर के एक महिला संगठन की सहायता ली, जिसने उसे कानूनी सलाह दी और महिला हेल्पलाइन से जोड़ा। उसने घर छोड़ दिया और स्वयं सहायता समूह की सहायता से शरण प्राप्त की। वर्तमान में वह स्वयं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है और उसने विवाह नहीं किया है।

निष्कर्ष: संगीता का मामला दर्शाता है कि सोशल मीडिया संबंधों के विस्तार का माध्यम बना है, लेकिन ग्रामीण पितृसत्तात्मक समाजों में यह सार्वजनिक होते ही नियंत्रण और दमन का कारण भी बनता है। संगीता का साहसिक प्रतिरोध आत्मनिर्भरता की दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

केस स्टडी 2: 'प्रियंका' (परिवर्तित नाम), उम्र – 29 वर्ष, जाति – सवर्ण, निवास – शहरी

पृष्ठभूमि: प्रियंका एक निजी विद्यालय में शिक्षिका हैं और भागलपुर शहर में रहती हैं। उन्होंने एक अनुसूचित जाति के युवक से प्रेम विवाह किया। उनका संबंध पाँच वर्षों तक छिपा रहा और बाद में उन्होंने आर्य समाज मंदिर में विवाह किया।

सामाजिक प्रतिक्रिया: विवाह के बाद, प्रियंका को परिवार ने त्याग दिया। सामाजिक बहिष्कार और ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर उनके निजी फोटो को अपमानजनक टिप्पणियों के साथ साझा किया गया।

प्रतिरोध: प्रियंका ने साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज की और महिला आयोग से संपर्क किया। उसे नौकरी में सहयोग मिला और उसने कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की। हालाँकि, उसे मानसिक तनाव और अकेलेपन का सामना करना पड़ा।

निष्कर्ष: प्रियंका का केस शहरी, शिक्षित और सवर्ण वर्ग की महिलाओं के प्रतिरोध की जटिलताओं को दर्शाता है, जहाँ सामाजिक पहचान और सम्मान को लेकर दबाव अधिक होता है। साथ ही यह साइबर उत्पीड़न के बढ़ते खतरे को भी रेखांकित करता है।

उपरोक्त दोनों केस स्टडी से यह स्पष्ट होता है कि अन्तर्जातीय संबंधों में शामिल महिलाओं को जाति, लिंग, और डिजिटल माध्यमों से उत्पन्न बहुस्तरीय सामाजिक नियंत्रण का सामना करना पड़ता है। परंतु व्यक्तिगत जागरूकता, समर्थन तंत्र और आत्मनिर्भरता के माध्यम से महिलाएँ सामाजिक प्रतिरोध के रास्ते चुन रही हैं।

7 निष्कर्ष

यह समाजशास्त्रीय अध्ययन इस बात को उजागर करता है कि अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाओं की भूमिका केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना को चुनौती देने वाली एक राजनीतिक क्रिया भी है। भागलपुर जिले के संदर्भ में यह स्पष्ट हुआ कि महिलाएँ इन संबंधों में प्रवेश कर पितृसत्तात्मक और जातीय व्यवस्था दोनों के विरुद्ध प्रतिरोध का कार्य करती हैं।

- महिलाओं पर पारिवारिक, सामुदायिक और धार्मिक संस्थानों द्वारा तीव्र सामाजिक दबाव डाला जाता है।
- बहुसंख्यक महिलाएँ (70% से अधिक) पारिवारिक या भावनात्मक दबाव का अनुभव करती हैं; 46.67% को सामुदायिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा।
- अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को सवर्ण महिलाओं की तुलना में अधिक सामाजिक बहिष्कार और हिंसा का अनुभव हुआ।
- प्रतिरोध और कानूनी सहायता लेने की प्रवृत्ति जातिगत स्थिति और शिक्षा से प्रभावित होती है।
- सोशल मीडिया संबंधों की शुरुआत का माध्यम तो है (40%), लेकिन उसी के माध्यम से महिलाओं को अपमानित और उत्पीड़ित भी किया गया (26.67%)।
- सोशल मीडिया ने कुछ महिलाओं को समर्थन और प्रेरणा भी दी, परंतु साइबर निगरानी का खतरा अधिक सामने आया।
- केवल 40% महिलाएँ कानूनी सहायता की ओर अग्रसर हो सकीं; कई महिलाओं को सामाजिक संगठनों से अपेक्षित सहायता नहीं मिली।
- आत्मनिर्भरता की ओर झुकाव और पलायन जैसी प्रवृत्तियाँ महिलाओं के नए प्रतिरोध की दिशा को इंगित करती हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएँ शहरी महिलाओं की तुलना में अधिक सामाजिक नियंत्रण का शिकार होती हैं, जबकि शहरी महिलाएँ साइबर उत्पीड़न और मानसिक दबाव से अधिक प्रभावित होती हैं।

8. सुझाव

इस शोध के आधार पर अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा हेतु निम्न सुझाव प्रस्तावित किए जाते हैं:

- ग्रामीण और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को अंतर्जातीय विवाह अधिनियम, घरेलू हिंसा कानून, और साइबर सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है।
- जिला स्तर पर कार्यरत महिला आयोग, हेल्पलाइन और परामर्श केंद्रों को अधिक सक्रिय और संवेदनशील बनाना चाहिए।
- पंचायत, स्कूल और धार्मिक संगठनों को जेंडर–संवेदनशील प्रशिक्षण देकर उनके निर्णयों में महिलाओं की स्वतंत्रता को महत्व देना चाहिए।
- महिलाओं के लिए सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए।
- साइबर उत्पीड़न पर त्वरित कार्यवाही और संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- उच्च शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार के माध्यम से महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे वे सामाजिक दबावों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें।

इस शोध से यह स्पष्ट होता है कि अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाओं की स्थिति भारतीय समाज की पितृसत्ता, जातीयता और आधुनिकता के संघर्ष क्षेत्र को प्रकट करती है। अन्तर्जातीय संबंधों में महिलाओं की सहभागिता समाज में बदलाव की सूचक है, जो परंपरा से टकराते हुए एक नई चेतना को जन्म दे रही है। इस चेतना को सामाजिक, कानूनी और नीतिगत समर्थन देकर ही एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सकती है। महिलाओं के साहसिक प्रतिरोध और संस्थागत समर्थन के समन्वय से ही एक समावेशी और न्यायसंगत समाज की दिशा में प्रगति संभव है।

9. संदर्भ

आंबेडकर, बी.आर. (1936). एनीहिलेशन ऑफ कास्ट. नवायना पब्लिशिंग।

कुमार, अनिल (2022). "कास्ट एंड लवः अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ इंटर–कास्ट रिलेशनशिप्स इन रूरल बिहार." इंडियन जर्नल ऑफ सोशल स्टडीज़, वॉल. 58(2), पृष्ठ 144–161।

चार्सली, के. और बोलोगनानी, एम. (2019). इंटरफेथ एंड इंटरकास्ट मैरेजेस इन इंडियाः लव, लॉ एंड फैमिली, रूटलेज पब्लिकेशन।

देशपांडे, सतीश (2013). द प्रॉब्लम ऑफ कास्ट. ओरिएंट ब्लैकस्वॉन, पृष्ठ 28–47।

नंदा, एस. (2005). "ऑनर किलिंग्स इन इंडियाः अ स्टडी ऑन कास्ट एंड पैट्रिआर्की." इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली, वॉल. 31(1), पृष्ठ 75–88।

भारत की जनगणना (2011). जिला जनगणना पुस्तिका – भागलपुर। जनगणना संचालन निदेशालय, बिहार, पृष्ठ 12–29।

भारत सरकार (2021). भारत में अपराध 2020, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), अध्याय 5, पृष्ठ 102–118।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (2022). वार्षिक प्रतिवेदन. भारत सरकार। अध्याय 4, पृष्ठ 56–73।

राव, अनुपमा (2009). द कास्ट क्वेश्चनः दलित्स एंड द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया प्रेस, अध्याय 3, पृष्ठ 97–123।

शर्मा, उर्वशी (25 अप्रैल 2020). "डिजिटल सर्विलांस एंड पैट्रिआर्कल कंट्रोलः रोल ऑफ सोशल मीडिया इन ऑनर–बेस्ड वायलेंस." इकॉनोमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, वॉल. 55(17)।

सुषमा नंदा (2005). "भारत में ऑनर किलिंगः जाति और पितृसत्ता पर अध्ययन", इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ द फैमिली, खंड 31(1), पृष्ठ 75–88।

सिंह, आर.पी. (2021). जेंडर एंड कास्ट इन कंटेम्परारी इंडियाः इंटरसेक्शन्स एंड रेज़िस्टेन्स, सेज पब्लिकेशन, पृष्ठ 65–89।

द हिन्दू (2023). "बिहार में ऑनर क्राइम के बढ़ते मामलेः एक सामाजिक–राजनीतिक चिंता", दिनांकः 12 जून 2023, राष्ट्रीय समाचार खंड।

टाइम्स ऑफ इंडिया (2022). "बिहार में प्रोत्साहन के बावजूद कम उपयोग में अन्तर्जातीय विवाह योजना", दिनांकः 7 अगस्त 2022, पटना संस्करण।